



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29072022-237708  
CG-MH-E-29072022-237708

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944

No. 377]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 28 जुलाई, 2022

विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022

सं. फेमा.3(आर)(3)/2022 –आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2018 (दिनांक 17 दिसंबर 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 3(आर)/2018-आरबी), (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है; अर्थात् :

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**

- इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2022 कहा जाएगा।
- यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

**2. अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 में संशोधन:**

मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा;

“8 ए: प्रति वित्त-वर्ष 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि की सीमा को अस्थायी रूप से बढ़ाकर 1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि कर दिया गया है। यह रियायत दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक जुटाई जाने वाली ईसीबी के लिए लागू होगी।”

अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन III/4/असा./202/2022-23]

**फुट नोट :** मूल विनियमावली दिनांक 17 दिसंबर 2018 को सा.का.नि. सं. 1213(अ) के तहत सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, तत्पश्चात उसे निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

- i. 26 फरवरी 2019 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. सं.163(अ)
- ii. 24 मई 2021 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. फेमा. 3(आर) 2/2021-आरबी

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**(Foreign Exchange Department)**  
(CENTRAL OFFICE)  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 28th July, 2022

**Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) (Amendment) Regulations, 2022**

**No. FEMA.3(R)(3)/2022-RB.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018 (**Notification No. FEMA.3(R)/2018-RB** dated December 17, 2018) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:

**1. Short Title & Commencement:**

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) (Third Amendment) Regulations, 2022.
- (ii) They shall come into force from the date of notification in the official gazette.

**2. Amendment to Paragraph 2 of Schedule 1:**

After Paragraph 8 of Schedule 1 to the Principal Regulations, the following shall be added;

“8A: The limit of USD 750 million or equivalent per financial year is temporarily increased to USD 1500 million or equivalent. This dispensation will be available for ECBs raised till December 31, 2022.”

AJAY KUMAR MISRA, Chief General Manager-in-charge

[ADVT.-III/4/Exty./202/2022-23]

**Foot Note:** The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.1213(E) dated December 17, 2018, in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:

- i. Notification No. G.S.R No. 163(E) published in the official gazette on February 26, 2019.
- ii. Notification No. FEMA. 3(R)2/2021-RB published in the official gazette on May 24, 2021.